न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 273/2023 अन्तर्गत धारा 131 RLR Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		मूलाराम पुत्र कोसलाराम जाति जाट, निवासी पोशाल तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– राज पेरौकार – तहसीलदार शिव

–:: आदेश ::–

दिनांक : 06.04.2026

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 व राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के तहत चलायमान बारहमासी व कदीमी रास्तों पर आवागमन हेतु उसका रेकर्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। ऐसे रास्ते जो वक्त भू प्रबंध आमजन के आवागमन हेतु उपलब्ध थे, किन्तु उनका राजस्व रेकर्ड में अंकन नही हो सका, ऐसे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक/राजस्व/2017/273 दिनांक 27.10.2017 को जारी किया गया। उक्त आदेश के तहत ग्राम पोषाल, तहसील शिव के खसरा नम्बर 177, 176, 174 में से रास्ता कायम करने हेतु नामांतरकरण पारित किया गया, जिसमें विधिक भूल से रास्ता मौके पर डामर सड़क से अलग प्रस्तावित कर दिया जाने पर विप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर में अपील दायर करने पर माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा पूर्व में दनिांक 27.10.2017 को पारित आदेश को अपास्त किया जाकर मौके पर बनी डामर सड़क अनुसार रास्ता संबंधी विधिवत् आदेश पारित किये जाने बाबत् निर्देशित करने की पालना में प्रकरण दर्ज किया गया।

प्रार्थना पत्र पंजीयन किया जाकर तहसीलदार शिव से विवादित रास्ता भूमि के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर विप्रार्थी व ग्रामवासियों की उपस्थिति में मूल खसरा नम्बर 176, 177 व विभक्त खसरा नम्बर 394/177, 392/176 की जांच करने पर पाया गया कि उक्त आराजी में वर्तमान में जहां रास्ता कटाण करवाया गया, वहां पर किसी प्रकार का कोई सडक निर्माण नहीं पाया गया तथा अन्य स्थान पर आम ग्रामवासियों की सहमति अनुसार वर्तमान सड़क संलग्न नक्शा बरंग लाल अनुसार दर्शाया गया है, जो बिन्दु संख्या ए से बी खसरा नम्बर 394/177 व बिन्दु संख्या सी से डी खसरा नम्बर 394/177 में चल रही है। शेष सड़क पूर्व तरमीम अनुसार ही चल रही है। बिन्दु संख्या बी से सी के बीच सड़क खसरा नम्बर 402/354 व 400/353 के मध्य चल रही है तथा खसरा नम्बर 176 में वर्तमान कोई सड़क नहीं है। तहसीलदार शिव द्वारा मौके पर वर्तमान में चल रही सड़क अनुसार तरमीम दुरस्त करने की अनुशंषा की गई है।

हमने आवेदन के तथ्यों पर पत्रावली व तहसीलदार शिव द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। उक्त के संबंध में तहसीलदार शिव द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मूल खसरा नम्बर 176, 177 व विभक्त खसरा नम्बर 394/177, 392/176 की जांच करने पर पाया गया कि उक्त आराजी में वर्तमान में जहां रास्ता कटाण करवाया गया, वहां पर किसी प्रकार का कोई सडक निर्माण नहीं पाया गया तथा अन्य स्थान पर आम ग्रामवासियों की सहमति अनुसार वर्तमान सड़क संलग्न नक्शा बरंग लाल अनुसार दर्शाया गया है, जो बिन्दु संख्या ए से बी खसरा नम्बर 394/177 व बिन्दु संख्या सी से डी खसरा नम्बर 394/177 में चल रही है। शेष सड़क पूर्व तरमीम अनुसार ही चल रही है। बिन्दु संख्या बी से सी के बीच सड़क खसरा नम्बर 402/354 व 400/353 के मध्य चल रही है तथा खसरा नम्बर 176 में वर्तमान कोई सड़क नहीं है। माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा भी मौके पर बनी डामर सड़क अनुसार रास्ता कटाण हेतु विधिवत आदेश परित करने बाबत् आदेशित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:55:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

तहसीलदार द्वारा वर्तमान मौके पर बनी सड़क अनुसार रास्ता प्रस्तावित किया जाकर अनुशंषा की गई है। अतः उक्त स्थिति में बिन्दू ए से बी तथा बिन्दू सी से डी तक डामर सड़क अनुसार रास्ता कटाण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा पोषाल, तहसील शिव में विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 176 में पूर्व में कटाण रास्ता को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में बिन्दु ए से बी तथा बिन्दु सी से डी तक वर्तमान में डामर सड़क अनुसार खसरा नम्बर 394 / 177 में रास्ता कटाण किये जाने तथा तरमीम दुरस्ती किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। तहसीलदार शिव को निर्देश दिये जाते है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार मौका रिपोर्ट एवं उसके संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 06.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:55:16 IST
Reason: SelfAttested